

मेसर्स इंडियन डेरी मशीनरी कं. लिमिटेड

बनाम

सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर

(2008 की सिविल अपील सं. 584)

22 जनवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.]

कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957-धारा 17(6) और 17(7) (यथा संशोधित)-कर की संरचना का लाभ-विक्रेता का दावा-निर्धारिती ने राज्य के भीतर कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए राज्य के बाहर से स्टॉक हस्तांतरण के माध्यम से माल प्राप्त किया-पक्षकारों के मध्य 01-04-2002 से पहले किए गए समझौते-धारा 17 (7) के संशोधित उपबंध 01-04-2002 से प्रवृत्त अभिनिर्धारित-धारा 17 (7) के संशोधित उपबंध के प्रकाश में निर्धारित संरचना के लाभ के लिए हकदार नहीं है-अभिव्यक्ति "प्राप्ति" में किसी भी तरह से रसीद और स्टॉक हस्तांतरण द्वारा रसीद भी शामिल है-इसके अतिरिक्त, संबिधित मूल्यांकन वर्ष के लिए कर की संरचना का विकल्प चुनने वाले निर्धारित ने आवश्यक आवेदन जमा नहीं किया है-संरचना लाभ के लिए विकल्प उस तारीख पर निर्भर नहीं करता जब पक्षकारों ने समझौता किया- कर्नाटक बिक्री कर नियम, 1957।

अपीलकर्ता कम्पनी ने एल.टी. कम्पनी के साथ कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए एक समझौता किया। उसका पंजिकृत कार्यालय गुजरात व शाखा कार्यालय बेंगलोर में है। अपीलकर्ता ने कर्नाटक में कार्य निष्पादन के लिए गुजरात में स्थित प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त किया। उसने कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम 1957 की धारा 17(6) के तहत संरचना के लाभ के विकल्प को चुना। धारा 17(7) के संशोधन को ध्यान में रखते हुए संरचना का लाभ नहीं दिया गया। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 17(7) के संशोधन 01-04-2002 से प्रवृत्त, 01-04-2002 से पूर्व में हुए समझौते पर लागू होंगे और ऐसे में अधिनियम की धारा 17(7) के संशोधन से स्टॉक में हस्तांतरण प्रभावित हुआ। अपीलकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि धारा 17(7) लागू होती थी। अतः यह वर्तमान अपील।

याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 कर्नाटक बिक्री अधिनियम, 1957 की धारा 17 की उपधारा (7) का संशोधित उपबंध 01-04-2002 से प्रवृत्त आया धारा 17 की उपधारा (7) की भाषा बहुत ही स्पष्ट है। संशोधित उपबंध स्पष्ट रूप से विक्रेता को अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (6) के लाभ से बाहर करता है, यदि वह कार्य अनुबंध के निष्पादन में ऐसे माल का उपयोग करने के उद्देश्य के

लिए राज्य के बाहर से माल खरीदता है या प्राप्त करता है। यदि किसी भी कारण से निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 17(6) के अंतर्गत कर की संरचना के विकल्प को चुनना चाहा है, तो आवश्यक रूप से उसे ऐसे वर्ष के प्रारम्भ होने की दिनांक से एक सौ बीस दिन के भीतर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उसके द्वारा निष्पादित कार्य अनुबंध के कुल मुल्य पर अधिनियम की धारा 5 बी के अन्तर्गत देय कर के बदले में स्वीकार करने हेतु आवेदन देना होगा। अधिनियम की धारा 17(6) के अन्तर्गत मुख्य यह ही है कि ठेकेदार द्वारा राज्य में उस वर्ष में निष्पादित कार्य के कुल प्रतिफल पर संरचना के माध्यम से कर देना है। संरचना लाभ के लिए प्रयोग किया जाने वाला विकल्प पक्षकार द्वारा कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए किए गए समझौते की तारीखों पर निर्भर नहीं करता। कर्नाटक बिक्री कर नियम, 1957 का नियम 8 बी(1) के अंतर्गत विक्रेता/निर्धारिती को ऐसे वर्ष या व्यवसाय के प्रारम्भ होने की तारीख से निर्धारित समय के भीतर प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए संरचना लाभ का आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है, यदि वह वर्ष के दौरान व्यवसाय प्रारम्भ कर चुका है। इसका फिर से अर्थ है कि राज्य में कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए पक्षकारों ने समझौता कब किया, यह अप्रासंगिक है। (पैरा 14) [1097-F-H; 1098-A-C]

1.2 विवाद में प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष 2002-2002 (31-03-2003 को समाप्त) है, और निर्धारिती यदि उसने इस वर्ष के लिए कर को संयोजित करने का फैसला लिया तो उसे नियमों के नियम 8बी(1) के तहत प्रावधानित आवेदन करना आवश्यक है। संशोधित उपबंध के तहत लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए, चुकि अपीलकर्ता ने कार्य अनुबंध के निष्पादन में ऐसे माल का उपयोग करने के उद्देश्य के लिए राज्य के बाहर से स्टॉक हस्तांतरण के माध्यम से माल को प्राप्त किया है, तो मूल्यांकन प्राधिकारी अपीलकर्ता कम्पनी को अधिनियम की धारा 17(6) के तहत कर का भुगतान करने के चुनाव की अनुमति नहीं दे सकता था। इसलिए अपीलकर्ता का प्रथम विधि का प्रश्न निर्धारिती के विरुद्ध सही से पारित किया गया है। (पैरा 14)(1098-C-E)

1.3 संशोधित उपबंध में प्रयुक्त भाषा को देखते हुए, अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से धारा 17 की उपधारा (6) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संरचना से वंचित किया। अभिव्यक्ति "प्राप्तियां" में किसी भी रूप में रसीद शामिल होगी। स्टॉक हस्तांतरण द्वारा प्राप्त रसीद भी उक्त अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। इसलिए उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण याचिका को खारिज करना उचित था। हम धारा 17 की उपधारा (7) यथा संशोधित 01-04-2002 की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए अलग दृष्टिकोण अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं। (पैरा 15) [1098-F-H;1099-A]

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 584/2008

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलोर के एस.टी.आर.पी. संख्या 2004
की 18 से दिनांकित 14-07-2004 के अंतिम निर्णय व आदेश से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 2008 की 585, 586 व 589

अपीलकर्ता की ओर से सुभाष शर्मा।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता सुश्री अनीथा शेनॉय।

न्यायालय का निर्णय **जे. डॉ. अरिजित पासायत** द्वारा पारित किया
गया।

1. एस.एल.पी. (सी) संख्या 2006 की 12791-12794 में अनुमोदन
स्वीकृत।

2. इन अपीलों में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल खंड पीठ द्वारा
धारा 23 (1) कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 (संक्षेप में 'अधिनियम')
में दायर पुनरीक्षण याचिका में पारित फैसले को चुनौती दी गई है।

3. विवाद मूल्यांकन वर्ष 2002-2003 से संबंधित है। अपीलकर्ता ने
कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में न्यायाधिकरण) द्वारा एस.टी.ए.
संख्या 2003 का 798-801 में पारित आदेश की सत्यता पर प्रश्न उठाते

हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की। अधिनियम की धारा 22(1) में न्यायाधिकरण के समक्ष पेश याचिकायें, वाणिज्यिक कर (अपील) बेंगलोर खण्ड, बेंगलोर (यहां अपीलीय प्राधिकरण से संबोधित) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई। उक्त प्राधिकरण ने वाणिज्यिक कर सहायक आयुक्त बेंगलोर के वर्ष 2002 के माह मई, जून, जुलाई, सितम्बर के अनंतिम मूल्यांकन आदेशों की पुष्टि की।

4. तथ्यात्मक स्थिति लगभग निर्विवाद है और इस प्रकार है:

अपीलकर्ता एक सीमित कंपनी है जिसका पंजिकृत कार्यालय गुजरात व शाखा कार्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थिति है। यह मेसर्स लार्सन एवं टुब्रो लिमिटेड के कार्य अनुबंध निष्पादन के लिए उप-ठेकेदार है। यह अधिनियम के अंतर्गत व केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'केंद्रीय अधिनियम') के तहत एक विक्रेता के रूप में पंजिकृत है। अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 17 (6) के अंतर्गत संरचना का विकल्प चुना था परन्तु धारा 17 की उपधारा (7) के संशोधन के प्रकाश में संरचना के लाभ से इनकार कर दिया गया। अपीलकर्ता निर्विवाद रूप से कर्नाटक में किए कार्य निष्पादन के लिए गुजरात में स्थित प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त कर चुका था।

5. अपीलकर्ता का विभागीय प्राधिकरण तथा न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क रहा कि प्रधान कार्यालय से माल की रसीद प्राप्त करना, माल

प्राप्त करने के समान्तर नहीं है। न्यायाधिकरण ने धारा 17 की उपधारा (7) यथा संशोधित अधिनियम संख्या 2002 का 5 01-04-2002 से प्रवृत्त, का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित किया कि उपबंध वास्तव में स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के प्रकरण में लागू होते हैं।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका में निम्न प्रश्न उठाए गए-

"1. क्या कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष सही है कि कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम की धारा 17 (7) का संशोधन जो दिनांक 01-04-2002 से प्रवृत्त है, दिनांक 01-04-2002 से पहले किए गए अनुबंधों पर लागू होगा।

2. क्या कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण ने सही प्रतिपादित किया कि यहां तक कि स्टॉक हस्तांतरण भी कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम की धारा 17 (7) के संशोधन जो 01-04-2002 से प्रवृत्त है, से प्रभावी होगा?"

7. अधिनियम की धारा 17 (7) जो कर्नाटक संशोधन अधिनियम 2002 का 5, 01-04-2002 से प्रवृत्त, द्वारा पेश की गई जो इस प्रकार है-

" उप-धारा (6) में निहित कोई भी बात किसी विक्रेता पर लागू नहीं होगी जो कार्य उपबंध के निष्पादन में माल के उपयोग के उद्देश्य के लिए राज्य के बाहर से माल खरीदता या प्राप्त करता है"

8. विधायिका ने अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (7) में उपरोक्त संशोधन प्रस्तुत कर अधिनियम की धारा 5 बी के तहत कर हेतु उत्तरदायी विक्रेता के संयोजन राशि के लाभ को प्रतिबंधित कर दिया है। इस संशोधित उपबंध द्वारा, विधायिका ने यह अनिवार्य कर दिया कि विक्रेता जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में उस माल के उपयोग के उद्देश्य के लिए राज्य के बाहर से माल खरीदता है या प्राप्त करता है, वह अधिनियम की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट कार्यों के संबंध में उस वर्ष में निष्पादित कार्य अनुबंध के संयोजन राशि के लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

9. कर्नाटक बिक्री कर नियम, 1957 का नियम 8-बी (संक्षेप में 'नियम') कार्य अनुबंध निष्पादित करने वाले विक्रेता के मामले में कर की संरचना के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। नियमों के नियम 8-बी के उप-नियम (1) में यह परिकल्पना की गई है कि जो संरचना लाभ चाहता है प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन वर्ष या व्यवसाय के शुरू होने की दिनांक से एक सौ बीस दिन के भीतर निर्धारण प्राधिकारी को फॉर्म 08 एए के आवेदन जमा करायेगा, यदि उसने वर्ष के दौरान व्यवसाय शुरू कर दिया है।

10. नियमों के नियम 8-बी के उप-नियम (2) में कहा गया है कि मूल्यांकन प्राधिकरण विक्रेता/निर्धारिती से इस तरह के आवेदन की प्राप्ति के बाद, और उसे सत्यापित करने के बाद, उपनियम (1) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, विक्रेता को अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (6) के अनुसार

वर्ष के दौरान उसके द्वारा देय कर की राशि के बदले में संरचना के रूप में भुगतान की अनुमति दे सकता है।

11. नियमों के नियम 8-बी के उप-नियम (2) का खंड (ii) में यह परिकल्पना की गई है कि निर्धारण प्राधिकरण निर्धारती/विक्रेता द्वारा नियमों के नियम 8-बी के उपनियम 1 के आवेदन को प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर संरचना के लिए अनुमति देगा।

12. उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि धारा 17 की उप-धारा (7) का स्पष्ट अनुप्रयोग है। इन अपीलों में न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों को दोहराया गया।

13. दूसरे पक्ष की ओर से प्रतिवादी- राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित निर्णय का समर्थन किया।

14. यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि विक्रेता धारा 17 की उप-धारा (6) का लाभ चाहता है, तो मूल्यांकन वर्ष की शुरुआत से एक सौ बीस दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। धारा 17 की उपधारा (7) का संशोधित उपबंध 01-04-2002 से प्रभाव में आया है। संशोधित उपबंध स्पष्ट रूप से विक्रेता को अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (6) के लाभ से बाहर करता है, यदि वह कार्य अनुबंध के

निष्पादन में ऐसे माल का उपयोग करने के उद्देश्य के लिए राज्य के बाहर से माल खरीदता है या प्राप्त करता है। यदि किसी भी कारण से निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 17(6) के अंतर्गत कर की संरचना के विकल्प को चुनना चाहा है, तो आवश्यक रूप से उसे ऐसे वर्ष के प्रारम्भ होने की दिनांक से एक सौ बीस दिन के भीतर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उसके द्वारा निष्पादित कार्य अनुबंध के कुल मूल्य पर अधिनियम की धारा 5 बी के अन्तर्गत देय कर के बदले में स्वीकार करने हेतु आवेदन देना होगा। अधिनियम की धारा 17(6) के अन्तर्गत मुख्य यह ही है कि ठेकेदार द्वारा राज्य के उस वर्ष में निष्पादित कार्य के कुल प्रतिफल पर संरचना के माध्यम से कर देना है। संरचना लाभ के लिए प्रयोग किया जाने वाला विकल्प पक्षकार द्वारा कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए किए गए समझौते की तारीखों पर निर्भर नहीं करता। नियमों के नियम 8 बी(1) के अंतर्गत विक्रेता/निर्धारिती को ऐसे वर्ष या व्यवसाय के प्रारम्भ होने की तारीख से निर्धारित समय के भीतर प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए संरचना लाभ का आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है, यदि वह वर्ष के दौरान व्यवसाय प्रारम्भ कर चुका है। इसका फिर से अर्थ है कि राज्य में कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए पक्षकारों के समझौता कब किया यह अप्रासंगिक है। जैसा कि ज्ञात है, विवाद में प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष 2002-2002 (31-03-2003 को समाप्त) है, और निर्धारिती यदि उसने इस वर्ष के लिए कर को

संयोजित करने का फैसला लिया तो उसे नियमों के नियम 8 बी(1) के तहत प्रावधानित आवेदन करना आवश्यक है। संशोधित उपबंध के तहत लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए, चुकि अपीलकर्ता ने कार्य अनुबंध के निष्पादन में ऐसे माल का उपयोग करने के उद्देश्य के लिए राज्य के बाहर से स्टॉक हस्तांतरण के माध्यम से माल को प्राप्त किया है, तो मूल्यांकन प्राधिकारी अपीलकर्ता कम्पनी को अधिनियम की धारा 17(6) के तहत कर का भुगतान करने के चुनाव की अनुमति नहीं दे सकता था। इसलिए अपीलकर्ता का प्रथम विधि का प्रश्न निर्धारिती के विरुद्ध सही से पारित किया गया है।

15. धारा 17 की उप-धारा (7) में प्रयुक्त भाषा बहुत स्पष्ट है, इसका यह आशय है कि यदि कोई विक्रेता राज्य के भीतर कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए राज्य के बाहर से माल खरीदता है या प्राप्त करता है तो वह धारा 17 की उप-धारा (6) की शर्तों के संदर्भ में संरचना के लाभ का हकदार नहीं है और निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता ने स्टॉक हस्तांतरण के माध्यम से माल प्राप्त किया है। संशोधित उपबंध में प्रयुक्त भाषा को देखते हुए, अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से धारा 17 की उपधारा (6) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संरचना से वंचित किया। अभिव्यक्ति "प्राप्तियां" में किसी भी रूप में रसीद शामिल होगी। स्टॉक हस्तांतरण द्वारा प्राप्त रसीद भी उक्त अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। इसलिए उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण

याचिका को खारिज करना उचित था। हम धारा 17 की उपधारा (7) यथा संशोधित 01-04-2002 की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए अलग दृष्टिकोण अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं।

16. अपील अस्वीकार कर खर्च के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज की जाती है।

एन.जे.

अपीले खारिज ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दिलीप चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translators)

Disclaimer:- The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purpose, the English version of the

judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.